नाबार्ड

परिपत्र सं EC No. 192-पुनर्वित्त DoR-53 .2019-20 21 जून June 2019

सं.राबैं.पुनर्वित्त-नीति(बुनकर) No.NB.DoR-Policy(Weavers)/922/एA-7(P)/2019-20

अध्यक्ष The Chairman
अनुसूचित वाणिज्य बैंक Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय Dear Sir

नाबार्ड द्वारा अलग-अलग बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1)(iv) और धारा 21(1)(v) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के लिए प्रावधान - 2019-20 के लिए नीति
Provision of Short term credit limits to Scheduled Commercial Banks (SCBs) under Section 21 (1) (iv) & 21(1) (v) read with Section 21 (4) of NABARD Act,1981 for financing working capital and marketing requirements of Individual Weavers /Handloom Weaver Groups (HWGs) / Master Weavers (MWs), weaver members of defunct / non working weaver societies, Mutually aided Cooperative Societies, Societies outside the Cooperative fold and producer group companies by NABARD – Policy for the year 2019-20

कृपया 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं 74/पुनर्वित्त-24/ 2014 के साथ पठित 16 मई 2018 का हमारा परिपत्र सं 111 / पुनर्वित्त - 37 /2018 देखें जिसके साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुनकरों/ हथकरघा बुनकर समूहों/ प्रमुख (मास्टर) बुनकरों, निष्क्रिय/ बंद पड़ी बुनकर समितियों के बुनकर सदस्यों, परस्पर सहयोग करने वाली सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और उत्पादक समूह कंपनियों की कार्यशील पूंजी और	Please refer to our Policy Circular No.111/DoR-37/2018 dated 16 May 2018 read with Circular No.74/DoR-24/2014 dated 23 April 2014 communicating NABARD's policy for provision of short term credit limits for financing working capital and marketing requirements of Individual Weavers/Handloom Weaver Groups/Master Weavers, weaver members of defunct / non working weaver societies, Mutually aided Cooperatives Societies,

विपणन आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए अल्पलावधि ऋण सीमाओं के प्रावधान की सूचना दी गई है. 2. वर्ष 2019-20 के लिए भी मोटे तौर पर इसी नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है. वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों निम्नवत् है: i. 31 मार्च 2018 को न्यूनतम 10.875% के सीआरएआर(बेसल-III के अनुसार) की शर्त का पालन करना. ii. 31 मार्च 2018 को निवल ऋण और अग्रिम के 6% से ज्यादा निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) न हो. साथ ही अनर्जक आस्तियों की गणना बैंक के लिए समग्र रूप से की जाएगी. iii. वर्ष 2017-18 में बैंक निवल लाभ में रहा हो. iv. 31 मार्च 2019 को उपर्युक्त मानदंडों में सुधार या खराबी में उसी स्थिति को पुनर्वित्त की पात्रता के लिए हिसाब में लिया जाएगा. 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को नाबार्ड का पुनर्वित्त न्यूनतम 7.9% प्रति वर्ष या समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर से दिया जाएगा. हालाँकि, नियमों और शर्तों के विभिन्न मापदंडों की प्रतिपूर्ति की अवधि और पुनर्वित्त की मात्रा, जैसा कि हमारे दिनांक 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 74/पुनर्वित्त-24/2014 में दर्शाया गया था, तदनुसार परिवर्तित होगा. 23 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. 74/पुनर्वित्त-24/2014 में दिए गए अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगे. 4. कृपया पावती दें.	Societies outside the Cooperative fold and producer group companies. 2. It has been decided to broadly continue the same policy for 2019-20 also. The eligibility criteria prescribed for the year 2019-20 are: (i) Compliance with minimum CRAR norm of 10.875% (as per Basel III) as on 31.03.2018 (ii) Net NPAs not exceeding 6% of net loans and advances outstanding as on 31.03.2018. Further, the NPA position will be reckoned for the Bank as a whole. (iii) The bank should be in Net profit in 2017-18. (iv) In case of improvement or deterioration in the above parameters as on 31.03.2019, the same will be reckoned for eligibility of refinance. 3. NABARD's refinance to Scheduled Commercial Banks will be at an interest rate of 7.9 % p.a. minimum or such other rate as decided by NABARD from time to time. However, the period for reckoning on various parameters of terms and conditions and quantum of refinance as indicated in our Circular No.74/DoR-24/2014 dated 23 April 2014 will undergo changes accordingly. All other terms and conditions detailed in Circular No.74/DoR-24/2014 dated 23 April 2014 will remain the same. 4. Kindly acknowledge receipt of the same.

भवदीय Yours faithfully

(जी आर चिंताला G. R. Chintala)

मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager